

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमति कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या -136/2001 (23/2010)
वादीगण -

1. मृतक फूसाराम के कायम मुकाम -
 - 1/1 शंकरराम पुत्र फूसाराम जाति भील
 - 1/2 लाखाराम पुत्र फूसाराम जाति भील
 - 1/3 श्रवणकुमार पुत्र फूसाराम जाति भील नाबालिग
 - 1/4 केशाराम पुत्र फूसाराम जाति भील नाबालिग
 - 1/5 पमाराम पुत्र फूसाराम जाति भील नाबालिग
 - 1/6 श्रीमति अगरीदेवी बेवा फूसाराम जाति भील निवासीयान भीलो की ढाणी (मांगला) तहसील समदडी जिला बाडमेर राज.।
2. मृतक मादाराम के कायम मुकाम -
 - 2/1 श्रीमति हीरकी बेवा मादाराम जाति भील
 - 2/2 कुमारी गीता पुत्री मादाराम जाति भील
 - 2/3 आम्बाराम पुत्र मादाराम जाति भील

ब नाम

प्रतिवादीगण -

1. ओमप्रकाश पुत्र पुरुषोत्तमदास जाति अग्रवाल
2. जगदीश पुत्र पुरुषोत्तमदास जाति अग्रवाल
3. घनश्याम पुत्र पुरुषोत्तमदास जाति अग्रवाल
4. प्रेमप्रकाश पुत्र पुरुषोत्तमदास जाति अग्रवाल
5. गोपीकिशन पुत्र पुरुषोत्तमदास जाति अग्रवाल
6. श्रीमति रामप्यारी पत्नी पुरुषोत्तमदास जाति अग्रवाल
7. विमल पुत्र जगदीशचन्द जाति माहेश्वरी
8. हितेश पुत्र जगदीशचन्द जाति माहेश्वरी
9. कविता पुत्री जगदीशचन्द जाति माहेश्वरी
10. श्रीमति शंकुन्तला बेवा जगदीशचन्द जाति माहेश्वरी सभी निवासीयान हनुमान मन्दिर के पास, बाडमेर
11. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी
12. नेमीचन्द पुत्र मुलतानमल जाति महाजन निवासी बाडमेर

वाद हेतु अधिकार घोषणा, अभिलेख सुधार एवं स्थाई निषेधाज्ञा, व्यादेश बाबत

उपस्थित :-

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह भाटी
 2. प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश मंगल
- :: निर्णय ::

दिनांक - 9/5/22

यह वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध अधिकार घोषणा, अभिलेख सुधार एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का प्रस्तुत किया है। वाद के तथ्य संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार है- कि वादीगण अनुसूचित जनजाति भील जाति के सदस्यगण है जिन्हें धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का संरक्षण प्राप्त है। खालसा गांव मांगला फार्म वर्तमान में भीलो की ढाणी, मांगला की राजस्व सीमा में खेत खसरा संख्या 323, 327, 335, 336, 303 रकबा क्रमशः 4.18, 15.11, 0.01, 0.11, 8.18 बीघा आयी हुई है, उक्त खेत खसरा संख्या 323, 327, 335, 336 के पुराने खसरा संख्या 113 व 303 के पुराने खसरा संख्या 114 थे।

कि वादग्रस्त कृषि भूमि दिनांक 15.10.1955 से पहले व बाद में तथा दिनांक 01.05.1964 को वादीगण के पिता स्व. वेनीया उर्फ वेना के कब्जा काश्त की थी, मांगला फार्म की

द्वितीय भू प्रबन्ध वर्ष संवत् 2024 से 2029 में हुआ। सेटलमेन्ट पूर्व से वादग्रस्त कृषि भूमि कब्जा काश्त वादीगण के पिता वेनीया उर्फ वेना का रहा। वेना का देहान्त होने के बाद

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

कि विगत भू प्रबन्ध पर्चा लगान वादीगण के पिता वेनीया उर्फ वेना के नाम जारी हुआ। यद्यपि कब्जा काश्त वादीगण के पिता वेनीया उर्फ वेना व वादीगण का रहा है व है किन्तु प्रतिवादीगण बहुत की धनाढ्य व प्रभावशाली व्यक्ति है, ने सेटलमेन्ट कर्मचारियों से मिलावट कर दुराभिसंधि कर राजस्व अभिलेख में हैरा फेर कर प्रतिवादीगण के नाम कर दिया, जबकि सेटलमेन्ट ऑपरेशन में भूमि की किस्म, कृषको के अधिकार तथा राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था, किसी भी व्यक्ति को खातेदारी हक देने का अधिकार सेटलमेन्ट विभाग का नहीं था। सामान्य सेटलमेन्ट ऑपरेशन में केवल गत भू प्रबन्ध की प्रविष्टियों का मात्र पुनरावर्ती तक ही की जा सकती है यदि पुनरावर्ती के अलावा अन्य कोई प्रविष्टियां अंकित की जाती है तो आदित शून्य होती है। आदित शून्य प्रविष्टियों की आड में प्रतिवादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि में न तो कोई अधिकार उत्पन्न हुये, न ही अधिकार उत्पन्न हो सकते हैं। प्रतिवादीगण कभी भी वादग्रस्त कृषि भूमि पर काश्त तक नहीं की, समय - समय पर संवत् 2010 व बाद की गिरदावरी अभिलेख में दानीया का कब्जा दर्ज होता रहा है किन्तु प्रतिवादीगण ने अवैध व अनुचित तरीके से वादीगण के पिता का नाम हटवा दिये, मौके पर वादीगण का कब्जा काश्त है। स्थाई रहवास की ढाणीयां बनी हुई है, लेकिन प्रतिवादीगण अपनी शक्तिशाली प्रास्थिति का दुरुपयोग कर पुलिसकर्मीयों से मिलावट कर झूठे फौजदारी प्रकरण बनाकर वादीगण को बेदखल करने हेतु आमामादा है, ऐसी स्थिति में वादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने हितो व अधिकारो की सुरक्षा हेतु राजस्व वाद बाबत् अधिकार घोषणा के अनुतोष का श्रीन्यायालय में पेश किया। जो दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये।

प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जेठाराम सिंघल व श्री रमेश मंगल ने वकालत नामा प्रस्तुत कर जबाव मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, उक्त भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की अवश्य आयी हुई है लेकिन वादीगण ने गलत तरीके से अदालत हाजा को गुमराह करने की नियत से खसरा नम्बर 323, 327, 335, 336, 303 का वाद पत्र वादीगण का कब्जा होने का कथन गलत है उक्त भूमि पूर्व से ही यानि वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व प्रतिवादीगण के कब्जा खातेदारी की थी तथा वादपत्र के तथ्यों का खण्डन करते हुये उक्त भूमि के सम्बन्ध में कब्जा काश्त प्रतिवादीगण का होना बताया तथा दावा खारिज करने की इस्तदुआ की, साथ ही काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादीगण के कब्जा खातेदारी की है व रही। पूर्व में प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारियों द्वारा स्वयं की लागत लगाकर काश्त की जाती थी एवं भील परिवार के सदस्यों को बतौर श्रमिक काश्तकारी के कार्य सूड, कटान निदान करने व धान साफ करने हेतु रखे जाते थे, जिनसे ये तथ्य स्पष्ट है कि वादीगण, प्रतिवादीगण के यहां बतौर श्रमिक ही कार्य करते थे, जिनसे वादग्रस्त कृषि भूमि में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा तारबंदी की हुई है व प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है तथा साथ ही वादीगण के अन्य सदस्यों ने करीबन 15 और मुकदमें दर्ज करवा रखे हैं इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण की भूमि को हडपने हेतु उक्त मुकदमें दर्ज करवाये हैं एवं प्रतिवादीगण ने काउन्टर क्लेम कर, वादीगण के विरुद्ध वादग्रस्त कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी, रूकावट पैदा नहीं करने हेतु स्थाई निष्ठाज्ञा की मांग की एवं वादीगण द्वारा नाजायज तौर से वादग्रस्त भूमि पर छपरा बनाया गया है, को जरिये आज्ञापक व्यादेश के हटाया जावे।

कि वादीगण द्वारा काउन्टर क्लेम के तथ्यों का खण्डन करते हुये वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर काउन्टर क्लेम खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वादपत्र व जबावदावा मय काउन्टर क्लेम के तथ्यो के आधार पर न्यायालय द्वारा

तनकियात कायम की गई।

1. आया वादीगण विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारीगण

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

जिम्मे वादीगण

2. आया वादीगण विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के खिलाफ रथाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारीगण है ?

जिम्मे वादीगण
3. आया प्रतिवादीगण विवादित भूमि के संबंध में काउन्टर क्लेम के अनुसार दादरसी पाने के अधिकारीगण है ?

जिम्मे प्रतिवादीगण
4. सहायता ?

वादीगण अपने वाद के समर्थन में पी.डब्ल्यू 1 वादी शंकरराम व पी. डब्ल्यू 2 शैतानसिंह न्यायालय में प्रस्तुत हुये, जिनसे विस्तृत जिरह की गई। वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 प्रदर्श 01 व 02, चैनमेन हाजरी रजिस्टर प्रदर्श 3 व 4, फर्द इख्तलाफ प्रदर्श 5, मौका रिपोर्ट प्रदर्श 6, खसरा गिरदावरी प्रदर्श 7 ता 9, मौका फर्द प्रदर्श 10 प्रदर्शित करवाये। प्रतिवादीगण द्वारा अपने काउन्टर क्लेम के समर्थन में तत्कालीन भू अभिलेख निरीक्षक समदडी डी. डब्ल्यू 1दिलीप वैष्णव व डी डब्ल्यू 2 प्रतिवादी ओमप्रकाश न्यायालय में प्रस्तुत हुये, प्रतिवादीगण ने अपने काउन्टर क्लेम के समर्थन में निम्न दस्तावेजात वादग्रस्त खेत की जमाबन्दी संवत् 2027 से 2030 प्रदर्श ए1,फाईल की प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं मिल पाई जो प्रदर्श ए 2, तहसीलदार की जांच रिपोर्ट प्रदर्श ए 4, पटवारी कुम्पावास की जांच रिपोर्ट प्रदर्श ए 5, मीठाराम द्वारा प्रतिवादीगण के काश्तकारो के विरुद्ध दर्ज करवायी गई रिपोर्ट एफ आर प्रदर्श ए6, प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा मौका प्रदर्श ए7, सी आर नम्बर 112 में पटवारी ओमाराम द्वारा दिये गये बयान ए8, अन्तिम रिपोर्ट सी आर नम्बर 60/2003 प्रदर्श ए9, मौका फद प्रदर्श ए10, अन्तिम रिपोर्ट प्रदर्श ए 11, ढाल बाघ प्रदर्श ए 12, इसी न्यायालय में किये गये वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में दावे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श ए 13 से ए 15 प्रतिवादीगण के पक्ष में जारी बापी पट्टा प्रदर्श ए 16 व 17 है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की अन्तिम बहस सुनी गई।दौरान अन्तिम बहस वादीगण के अधिवक्ता ने अपने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि, वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर, वादग्रस्त भूमि वादीगण के नाम की खातेदार घोषित की जावे एवं दौराने बहस प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादीगण के तथ्यों को नकारते हुये वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादीगण के खातेदारी कब्जा काश्त की है व प्रतिवादीगण का कब्जा है ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद पत्र खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादीगण के पक्ष में रथाई निषेधाज्ञा वादीगण के विरुद्ध जारी फरमाई जावे। तथा न्यायालय द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व वादपत्र व काउन्टर क्लेम मय जबाव का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया।

तनकी संख्या 01 आया वादीगण विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारीगण है? को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है,

इस सम्बन्ध में वादी ने अपने गवाह पी. डब्ल्यू 1 स्वयं शंकरराम उपस्थित हुआ तथा पी. डब्ल्यू 2 शैतानसिंह उपस्थित हुआ, उक्त गवाह शंकरराम ने अपने दस्तावेज में जमाबन्दी प्रदर्श 1 पेश की, जो प्रतिवादीगण के नाम की है व गिरदावरी रिपोर्ट प्रदर्श 7 ता 9 पेश की, जिसे खातेदारी के कॉलम में वादीगण की काश्त का इन्द्राज है, जबकि उक्त भूमि प्रतिवादीगण के खातेदारी की राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज है, जिरह के दौरान उक्त वादग्रस्त खेत के खसरा रकबा के सम्बन्ध में वादी शंकरराम याद नहीं होने का कहता है व विगोडी की रसीद का भी नहीं होना बताता है ऐसी स्थिति में जब गवाह को किस भूमि के बाबत दावा किया है, उसका ज्ञान भी वादी गवाह को नहीं है तथा वादी गवाह उक्त भूमि के नाप का भी स्पष्ट कथन नहीं करता है न ही विगोडी की रसीदों के बारे में कोई कथन करता है इसी प्रकार पी डब्ल्यू 2 शैतानसिंह जो कि ग्राम जेठन्तरी का निवासी है को वादग्रस्त भूमि के खसरा नम्बर रकबा की जानकारी नहीं होना बताता है व वादग्रस्त भूमि के रेकॉर्ड में किसका नाम है, जिसके सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

बारे में भी कोई जानकारी होना नहीं बताता है तथा साथ ही वादी के पिता का नाम के बारे में भी नहीं जानना बताता है।

इसी प्रकार डी. डब्ल्यू 1 दिलीप वैष्णव जो कि तत्समय पटवारी के पद पर था व वर्तमान में तहसील समदडी का आर. आई है जो रिकॉर्ड देखकर प्रतिवादीगण के नाम की खातेदारी होना बताता है। वादग्रस्त भूमि में किसका कब्जा है इस बारे में उक्त गवाह इतना ही कहता है कि भीलो की ढाणीयां बनी हुई है। कहां बनी हुई है उसके बारे में गवाह को जानकारी नहीं है। यह बात सही है कि वर्तमान में सेवाराम के नाम से 106.15 बीघा जमीन मांगला फार्म में दर्ज है, जो जमाबन्दी में इन्द्राज है।

इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य व दस्तावेज के अनुसार उक्त तनकी वादीगण साबित करने में असफल रहे, तथा उक्त तनकी वादीगण के विरुद्ध, प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या 2 आया वादीगण विवादित भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारीगण है ?

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है चूंकि तनकी संख्या 1 वादीगण के विरुद्ध तय की गई है, जब खातेदारी अधिकार ही वादीगण को प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो स्वतः ही तनकी संख्या 2 वादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 3.आया प्रतिवादीगण विवादित भूमि के संबंध में काउन्टर क्लेम के अनुसार दादरसी पाने के अधिकारीगण है ?

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण को है, इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण ने अपनी चालू जमाबन्दी व दस्तावेजात् में दर्ज राजस्व रेकॉर्ड पेश किये हैं, जिस पर समस्त दस्तावेजात् में प्रतिवादीगण के हकपूर्वाधिकारी सेवाराम का नाम बतौर खातेदार दर्ज है तथा अपने काउन्टर क्लेम के समर्थन में डी. डब्ल्यू 1 दिलीप वैष्णव राजस्व कर्मचारी व डी. डब्ल्यू 2 प्रतिवादी ओमप्रकाश उपस्थित आये। जिनकी साक्ष्य अखण्डित रही। व दौरान जिरह वादीगण का कब्जा नहीं होना बताया व कब्जा काशत प्रतिवादीगण का ही होना दर्शित किया व दस्तावेजात् प्रदर्श 16 व 17 सन् 1954 के हैं जिसमें भी बापी पट्टा प्रतिवादीगण के पिता सेवाराम के नाम का जारी हो रखा है। लिहाजा दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर उक्त तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में व वादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन व प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज के अनुसार वादीगण अपने वाद को सिद्ध करने में असफल रहे तथा प्रतिवादीगण अपना काउन्टर क्लेम साबित करने में सफल रहे। अतः वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 323, 327, 335, 336, 303 रकबा क्रमशः 4.18, 15.11, 0.01, 0.11, 8.18, बीघा सरहद मौजा भीलो की ढाणी मांगला के बाबत् वादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण स्वयं, उसके एजेन्ट या प्रतिनिधि, प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की उनके कब्जा काशत में कोई दखलअंदाजी, बाधा नहीं करे। वादीगण के द्वारा नाजायज तौर से वादग्रस्त भूमि पर जो छपरा बनाया गया है उसे मौके से हटा ले। डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना - अपना



(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाणा

निर्णय आज दिनांक 9/5/22 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाणा

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना (बाडमेर)
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमति कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

वादीगण

1. मृतक फूसाराम के कायम मुकाम -
 - 1/1 शकरराम पुत्र फूसाराम जाति भील
 - 1/2 लाखाराम पुत्र फूसाराम जाति भील
 - 1/3 श्रवणकुमार पुत्र फूसाराम जाति भील नाबालिग
 - 1/4 केशाराम पुत्र फूसाराम जाति भील नाबालिग
 - 1/5 पमाराम पुत्र फूसाराम जाति भील नाबालिग
 - 1/6 श्रीमति अगरीदेवी बेवा फूसाराम जाति भील निवासीयान भीलो की ढाणी (मांगला) तहसील समदडी जिला बाडमेर राज.।
2. मृतक मादाराम के कायम मुकाम -
 - 2/1 श्रीमति हीरकी बेवा मादाराम जाति भील
 - 2/2 कुमारी गीता पुत्री मादाराम जाति भील
 - 2/3 आम्बाराम पुत्र मादाराम जाति भील

ब नाम

प्रतिवादीगण -

1. ओमप्रकाश पुत्र पुरुषोत्तमदास जाति अग्रवाल
2. जगदीश पुत्र पुरुषोत्तमदास जाति अग्रवाल
3. घनश्याम पुत्र पुरुषोत्तमदास जाति अग्रवाल
4. प्रेमप्रकाश पुत्र पुरुषोत्तमदास जाति अग्रवाल
5. गोपीकिशन पुत्र पुरुषोत्तमदास जाति अग्रवाल
6. श्रीमति रामप्यारी पत्नी पुरुषोत्तमदास जाति अग्रवाल
7. विमल पुत्र जगदीशचन्द जाति माहेश्वरी
8. हितेश पुत्र जगदीशचन्द जाति माहेश्वरी
9. कविता पुत्री जगदीशचन्द जाति माहेश्वरी
10. श्रीमति शंकुन्तला बेवा जगदीशचन्द जाति माहेश्वरी सभी निवासीयान हनुमान मन्दिर के पास, बाडमेर
11. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी
12. नेमीचन्द पुत्र मुलतानमल जाति महाजन निवासी बाडमेर

वाद हेतु अधिकार घोषणा, अभिलेख सुधार एवं स्थाई निषेधाज्ञा, व्यादेश बाबत

राजस्व प्रकरण संख्या -136/2001 (23/2010)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू वादीगण अधिवक्ता श्री नरपतसिंह भाटी मिनजानिब मुद्ई व मिनजानिब मुद्ई प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री रमेश मंगल की उपस्थित। वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 323, 327, 335, 336, 303 रकबा क्रमशः 4.18, 15.11, 0.01, 0.11, 08.18, बीघा सरहद मौजा भीलो की ढाणी मांगला के बाबत वादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण स्वयं, उसके एजेन्ट या प्रतिनिधि, प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की उनके कब्जा काश्त में कोई दखलअंदाजी, बाधा नहीं करे। वादीगण के द्वारा नाजायज तौर से वादग्रस्त भूमि पर जो छपरा बनाया गया है उसे मौके से हटा ले। खर्चा पक्षकारान् अपना - अपना वहन करे। बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 9/5/22 को डिक्री पर्चा जारी किया



क्रमांक 136/2001/2022 /

प्रतिलिपि - वास्ते पालनार्थ

भूमिधारक तहसीलदार समदडी

दिनांक

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

(कुसुमलता चौहान)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना